संख्या- 9/2017/207/35-3-2017-1(33)/2015टी0सी0

प्रेषक,

पी0एन0 त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-फिरोजाबाद, झाँसी, कुशीनगर, मेरठ, रायबरेली, प्रतापगढ, चन्दौली, अलीगढ, भदोही, एटा, मुरादाबाद, फतेहपुर, मैनपुरी, बहराइच, महामाया नगर, हमीरपुर, महोबा, सीतापुर, मुजफ़्फ़र नगर, उन्नाव, गोण्डा एवं बाराबंकी उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2017**

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में कराये गये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य से संबंधित देयों के भुगतान हेतु बजट आवंटन/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में पुनर्विनियोग आदेश संख्या-आर.ई-101/ई-5-914/दस-2016, दिनांक 22 सितम्बर, 2016 द्वारा अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनेत्तर -800-अन्य व्यय-04-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर-08-कार्यालय व्यय के अन्तर्गत पुनर्विनियोग से उपलब्ध बजट व्यवस्था तथा पुनर्विनियोग आदेश संख्या-आर.ई-590/ई-5-123/दस-2017, दिनांक 10 मार्च, 2017 द्वारा अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-04-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 07-मानदेय-11-मुद्रण एवं लेखन सामग्री-15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय मद में उपलब्ध बजट व्यवस्था से अनुलग्नक में अंकित 22 जनपदों-फिरोजाबाद, झाँसी, कुशीनगर, मेरठ, रायबरेली, प्रतापगढ, चन्दौली, अलीगढ, भदोही, एटा, मुरादाबाद, फतेहपुर, मैनपुरी, बहराइच, महामाया नगर, हमीरपुर, महोबा, सीतापुर, मुजफ़्फ़र नगर, उन्नाव, गोण्डा एवं बाराबंकी को विगत वित्तीय वर्ष के कतिपय देयों का भुगतान किये जाने हेतु रू0 1,62,18,250/- (रूपये एक करोड बासठ लाख अटठारह हजार दो सौ पच्चास मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि का आवंटन निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन किया जायेगा जो निम्नवत है:-

(1) वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत/आवंटित धनराशि को इसी वित्तीय वर्ष में व्यय किया जायेगा।

(2) आवंटित मदों के अनुरूप ही धन का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जाये।

(3) व्यय के भुगतान के उपरान्त यदि धनराशि शेष बचती है तो उसे नियमानुसार इसी वित्तीय वर्ष में समर्पित कर दिया जाये तथा व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं जनगणना कार्य निदेशालय को प्रेषित किया जाये।

3- इस पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-04-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर-07-मानदेय-08-कार्यालय व्यय-11-मुद्रण एवं लेखन सामग्री-15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(**पी0एन0त्रिपाठी**)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 9/2017/207(1)/35-3-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
2- प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- मण्डलायुक्त-मेरठ, इलाहाबाद, लखनउ, देवीपाटन मण्डल, फैजाबाद, विन्धाचल मण्डल, सहारनपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, झॉसी, चित्रकूटधाम, अलीगढ, आगरा, उत्तर प्रदेश।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, जनपद- फिरोजाबाद, झॉसी, कुशीनगर, मेरठ, रायबरेली, प्रतापगढ, चन्दौली, अलीगढ, भदोही, एटा, मुरादाबाद, फतेहपुर, मैनपुरी, बहराइच, महामाया नगर, हमीरपुर, महोबा, सीतापुर, मुजफफ़र नगर, उन्नाव, गोण्डा एवं बाराबंकी उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, जनगणना भवन, प्लाट संख्या-सी0सी0-1,सेक्टर जी, अलीगंज लखनऊ।
8- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9- उक्त 22 जनपदों के नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगरपंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वरा निदेशक, स्थानीय निकाय)।
10- निदेशक, स्थानीय निकाय, 8वॉ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
13- गार्ड बुक। नवम्बर

आज्ञा से

(पी0एन0त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 9/2017/207/35-3-2017-1(33)/2015टी0सी0, दिनांक 25 मार्च, 2017 का अनुलग्नक

धनराशि (रूपये में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	मानदेय (07)	कार्यालय व्यय (08)	मुद्रण एवं लेखन सामग्री (11)	गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद (15)	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं प्रासंगिक व्यय (44)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फिरोजाबाद	-	-	175610	-	177500	353110
2	झॉसी	-	-	244500	-	-	244500
3	कुशीनगर	-	-	159200	-	-	159200
4	मेरठ	-	-	167630	-	-	167630
5	रायबरेली			702500	-	-	702500
6	प्रतापगढ	-	-	400000	-	-	400000
7	चन्दौली	-	-	455000	-	-	455000
8	अलीगढ	-	-	68000	-	-	68000
9	भदोही	-	-	136800	-	-	136800
10	एटा	-	-	125000	-	-	125000
11	मुरादाबाद	-	-	200000	-		200000
12	फतेहपुर	-	-	50000	-	37000	87000
13	मैनपुरी	-	-	159440	-	86250	245690
14	बहराइच	-	20000	200000	15000	-	235000
15	महामाया नगर	-	-	62280	-	-	62280
16	हमीरपुर	-	-	-	-	1750	1750
17	महोबा	4500	-	-	-	5250	9750
18	सीतापुर	-	-	100000	-	36250	136250
19	मुजफफर नगर	-	50000	90000	-	80000	220000
20	उन्नाव	-	-	-	-	15250	15250
21	गोण्डा	-	-	225000		26000	251000
22	बाराबंकी	9049500	390000	1836040	290000	377000	11942540
	योग-	**9054000**	**460000**	**5557000**	**305000**	**842250**	**16218250**

कुल योग- (रूपये एक करोड बासठ लाख अटठारह हजार दो सौ पच्चास मात्र)

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in